संचिका सं0 14/विविध–36/2018
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

बिषयः–बिहार विधान मंडल के मा0 सदस्य/ पूर्व सदस्य को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा एवं इसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।

अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से उपर) को वर्ष में एक बार वार्षिक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा उपलब्ध है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–4478 दिनांक–18.03.2013 में निहित निर्देश के अनुसार पैकेज दर निम्न प्रकार हैः–

(i) पुरूषों के लिये– रू0 2000/–

(ii) महिलाओं के लिये– रू0 2200/–

2. संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव गठित किया गया है कि "बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा एवं उसके प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।"

3. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया हैः–

(i) बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा एवं इसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी जाये।

(ii) वार्षिक स्वास्थ्य जाँच हेतु निर्धारित दर वही होगी जो अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों हेतु निर्धारित है/होगी।

(iii) वार्षिक स्वास्थ्य जाँच हेतु निर्धारित पैकेज दर की प्रतिपूर्ति बिहार विधान मंडल के सदस्य एवं पूर्व सदस्य द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव के आधार पर यथास्थिति बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् द्वारा की जायेगी।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– **पटना, दिनांकः–**

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– **पटना, दिनांकः–**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय, कोषागार सिंचाई भवन एवं विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

P.T.O

D:\valesh kumar\sankalp\Sankalp Bihar Vidhan mandal 2018.doc

ज्ञापांक– 585(14) **पटना, दिनांक:–** 20.03.19

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग पटना/सचिव, राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव बिहार पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/सभी जिलाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,/अधीक्षक/उपाधीक्षक सभी सदर अस्पताल/निदेशक टी० बी० डी०सी० पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/ निदेशक, आई०जी०आई०सी०, पटना/निदेशक, आई०जी०आई०एम० एस०, शेखपुरा, पटना/आई०टी०मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। को सूचनार्थ।

20/3/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

D:\ralesh kumar\sankalo\Sanlekh Bihar Vidhan mandal 2018.doc